मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः22.12.2024

थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा जंगल के रास्ते क्रूरता पूर्वक मारपीट कर वध हेतु ले जाए जा रहे 16 राशि गोवंश बरामद, 01 शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में दिनांकः21.12.2024 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेमरी जंगल से 01 शातिर गो-तस्करों वकील पुत्र शिरावती निवासी ग्राम विशनपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। मौके से जंगल के रास्ते क्रूरता पूर्वक मारपीट कर वध हेतु ले जा रहे कुल 16 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-164/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. वकील पुत्र शिरावती निवासी ग्राम विशनपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-48 वर्ष।

विवरण बरामदगी—

16 राशि गोवंश।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-164/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम सेमरी जंगल से, दिनांकः21.12.2024 को समय 19.10 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक रामकिशोर, उप निरीक्षक रामजी यादव व उप निरीक्षक रमेश प्रसाद पाण्डेय थाना राजगढ़ मय पुलिस टीम।

महेन्द्र पटेल
थानाध्यक्ष
22/12/2024 12:34